(2)

मु.नं.–57/2020 GCMS ID-2020/00115 ता.रजु–26.10.2020

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

जसवंत मीना पुत्र प्रभु मीना निवासी मांच अटा, करौली तहसील व जिला करौली

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–11.11.2020

1. अपीलार्थी उपस्थित।
2. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर राजस्थान सम्पर्क पोर्टल की शिकायत नंबर 07190305991130 दिनांक 18.07.2019 पर गलत कार्यवाही करने के विरुद्ध की गई कार्यवाही, वर्तमान में उक्त शिकायत के जांच अधिकारी का नाम व पदनाम व की गई कार्यवाही, अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति लि. मामचारी के नवीन दस्तावेजात् एवं उक्त समिति के किरायानामा की वैधता आदि कुल 4 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
4. प्रत्यर्थी ने अपने पत्रांक–रसद/आरटीआई/2020/6694 दिनांक 06.11.2020 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी को उनके पत्रांक 6413 दिनांक 27.10.2020 द्वारा सूचना उपलब्ध करवा दी गई है।
5. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई।
6. बहस में अपीलार्थी का कथन है कि जो सूचना उनके द्वारा चाही गई है वह प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
7. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी का बहस में कथन है कि अपीलार्थी को बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपील को खारिज फरमाया जावे।
8. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं बहस उभयपक्षकारान का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा बिन्दु संख्या 1 की सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। शेष उपलब्ध करवाई गई सूचना/विनिश्चय पर्याप्त है।
9. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी को आदेश दिये जाते हैं कि वे बिन्दु संख्या 1 की सूचना अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित करें।
10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
12. निर्णय आज दिनांक 11.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली